सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं .NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR – R U-IV

दिनांक :19.02.2025

To,

1. **उपायुक्त,**
जिला –लोहरदगा,
प्रथम तल, कलेक्ट्रेट,
लोहरदगा, झारखंड -835302
Email Id: dc-loh@nic.in

2. **पुलिस अधीक्षक,**
जिला –लोहरदगा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
लोहरदगा, झारखंड -835302
Email Id: sp-lohardaga@jhpolice.gov.in

विषय: झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले अंतर्गत जोरी गाँव मे मुसलमान समुदाय के कुछ आपराधिक प्रवरत्ति के लोगों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करनेअपमानित करने के संबंध मे श्री /अपवित्र करने/ सुखनाथ उरांव, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला- लोहरदगा, झारखंड, रांची एवं अन्य का संयुक्त अभ्यावेदन श्री - समीर उराँव, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा प्राप्त।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

श्री सुखनाथ उरांव,
ग्राम प्रधान
जोरी गाँव, प्रखण्ड लोहरदगा -
जिला –लोहरदगा,
रांची (झारखंड)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR

झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के जोरी गाँव में गैर-अनुसूचित जनजाति के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करने, अपवित्र करने और अपमानित करने के संबंध में श्री सुखनाथ उरांव, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला - लोहरदगा, झारखंड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	31.01.2025 को 11.15 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

मामले में आयोग को श्री समीर उराँव, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा श्री सुखनाथ उराँव, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला - लोहरदगा, झारखंड, रांची एवं अन्य की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के जोरी गाँव में गैर-अनुसूचित जनजाति के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करने/अपवित्र करने/अपमानित करने के संबंध में वर्णन किया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि लोहरदगा जिले के लोहरदगा प्रखण्ड के जोरी गाँव में जनजातीय समाज बहुसंख्यक है, जहाँ पुरखों के समय से जनजातीय समुदाय अपनी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। परंतु स्थानीय जनजातीय पूजन स्थलों को गैर-अनुसूचित जनजाति द्वारा अतिक्रमित करने/अपवित्र करने/अपमानित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में देवी मंडप, दहि सही स्थल, महादेव स्थल, माटी कोडवन, बजरंग बाली चबूतरा, सरना स्थल, देशवाली, डोल बगीचा (कीर्तन मंडली), आराध्य देव करम एवं झखरा स्थल (चाला टोका) को अतिक्रमण करके घेरेबंदी करने का दुस्साहसिक कार्य कर सरना-सनातन समाज की शांति और सुव्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त,जिला-लोहरदगा, एवं पुलिस अधीक्षक, जिला -लोहरदगा, झारखंड को नोटिस दिनांक 29.01.2024 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में उत्तर / रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

4. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला लोहरदगा, एंव पुलिस अधीक्षक, जिला लोहरदगा, उपस्थित रहे | शिकायतकर्ता भी उपस्थित हुए ।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

I. मामले में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आयोग के जाँच दल द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

II. उपायुक्त, जिला-लोहरदगा, झारखंड से अपेक्षित है कि वे दिनांक 18.06.2024 की उत्तर रिपोर्ट (संलग्न – अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा) में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर अब तक की गई कार्रवाई सहित वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

आशा लकड़ा
12/02/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR

Sitting to be held on 31.01.2025 at 11:15 A.M - झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले अंतर्गत जोरी गाँव मे मुसलमान समुदाय के कुछ आपराधिक प्रवरत्ति के लोगों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करनेअपवित्र / अपमानित करने के संबंध मे श्री सुखनाथ उरांव/करने, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला- लोहरदगा, झारखंड, रांची एवं अन्य का संयुक्त अभ्यावेदन श्री समीर उराँव -, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा प्राप्त।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.			
6.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Lohardaga**		
1.	Dr. Waghmare Prasad Krishna DC Lohardaga		[signature]
2.	Haris Bin Zaman SP Lohardaga		Haris
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Lohardaga**		
1.			
2.			
3			
IV	**Petitioners**		
1.	सुखनाथ उरांव	6200936131	सुखनाथ
2.		8521603026	